न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–1, गोरखपुर।

चुनाव याचिका संख्या–08/2023
कुसमावती————बनाम————प्रियंका।

दिनांक–11.04.2025

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को पूर्व में प्रार्थनापत्र 64ग पर सुना जा चुका है। पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है।

विपक्षी सं0–1 प्रियंका सिंह की ओर से प्रार्थना पत्र 64ग मय शपथ पत्र 65ग प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि पत्रावली शेष साक्ष्य हेतु नियत है। विपक्षीगण तृतीय पक्ष पर मुकदमा हाजा में तामिला पर्याप्त अवधारित किया गया है, लेकिन विपक्षीगण तृतीय पक्ष बसाजिश वादी मुकदमा हाजा में न तो उपस्थित आये, न ही उन्होंने अपना कोई जबाव दावा प्रेषित किया है। जबकि याची द्वारा अपनी याचिका में विपक्षीगण 11 व 12 पर मतगणना में धांधली व बेइमानी का आरोप लगाते हुये आवेदन पत्र पुर्नमतगणना हेतु प्रेषित किया है। ऐसी स्थिति में मुकदमे के वास्तविक न्याय निर्णय हेतु विपक्षी सं0–11 व 12 एक महत्वपूर्ण साक्षी है और उनका साक्ष्य न्यायहित में आवश्यक है। विपक्षी सं0–11 व 12 ने चूंकि अपना कोई जबाव दावा प्रस्तुत नहीं किया है। जिसके कारण विपक्षी सं0–11 व 12 को बतौर न्यायालय साक्षी वाद के समुचित एवं वास्तविक न्याय निर्णयन हेतु तलब किया जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत है।

वादी के द्वारा प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये कथन किया गया कि विपक्षी जानबूझकर मामले को लंबित रखने के लिये विपक्षी सं0–11 व 12 को न्यायालय साक्षी के रूप में तलब कराना चाहता है, जबकि उनके साक्ष्य की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि याची कुसमावती के द्वारा प्रस्तुत चुनाव याचिका विपक्षीगण प्रियंका सिंह आदि के विरूद्ध यह कहते हुये योजित की गयी है कि विपक्षी के द्वारा अन्य विपक्षीगण के साथ मिलकर अनुचित तरीकों का प्रयोग करते हुये चुनाव में धांधली कर याची को प्राप्त मत विपक्षी के खाते में गणना कर विपक्षी को विजयी घोषित किया गया है। अतः पुर्नमतगणना कराते हुये याची को निर्वाचित घोषित करने एवं विपक्षी सं0–11 का आदेश दिनांक 13.05.2023 को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है। विपक्षी सं0–11 व 12 रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर हैं। उन्हें न्यायालय साक्षी के रूप में तलब किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि याची को अपने चुनाव याचिका में कहे गये तथ्य स्वयं साबित करने हैं, जिन्हें साबित करने के अभाव में उसका प्रतिकूल प्रभाव याची पर ही पड़ना है। यहॉ यह भी तथ्य उल्लेखनीय है कि विपक्षी सं0–11 व 12 चुनाव याचिका में स्वयं पक्षकार हैं। जोकि स्वयं साक्ष्य में उपस्थित हो सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षी के द्वारा उपरोक्त प्रार्थनापत्र जानबूझकर मामले में देरी कारित करने के लिये प्रस्तुत किया गया है। अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विपक्षी सं0–1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 64ग निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 64ग निरस्त किया जाता है।
पत्रावली बहस हेतु 18.04.2025 को पेश हो।

अपर जिला जज, न्यायालय सं0–1,
गोरखपुर।

Digitally signed by CHANDRA BHAN SINGH
Date: 2025.04.11 17:13:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court